न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.130/2019 दिनांक 1.1.2020

सरकार बनाम संजय वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चतुर्भुज ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम चतुर्भुज कोटपूतली के ख0 न0660/20.0 है0 किस्म सिवायचक मेंसे 1.60है पर राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी चतुर्भुज तहसील कोटपूतली ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये तामिल कुन्निदा ने अपनी रिपोर्ट में गैर सायल राधेश्याम को फोत होना बताया। तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट के आधार पर पटवारी हल्का से गैरसायल के कायम मुकाम की रिपोर्ट ली गई मुताबिक पटवारी हल्का गैरसायल राधेश्याम पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर संजय, विष्णु, शशिकान्त पुत्र राधेश्याम को सामिल किया गया। सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया। जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है कि खसरा नंबर 660 में 0.50 है0 भूमि 1992 में अस्थाई आवंटन की गई है। जब से ही उस पर काबिज हैं साक्ष्य बतोर दस्तावेज पेश किये जो संलग्न किये गये। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू- अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है तथा गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब से स्पष्ट होता है कि गैर सायल का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्ध होता है तथा संलग्न दस्तावेज में गैर सायल को तीन वर्ष के लिए अस्थाई आवंटन किया गया था जिस पर गैर सायल का काबिज होना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायल संजय, विष्णु, शशिकान्त पुत्र राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी चतुर्भुज तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम चतुर्भुज तहसील कोटपूतली के ख0 न0 660/20.0है0 ,किस्म सिवायचक मे से 1.60है0 भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है

Scanned by CamScanner

तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर की गई जोत से हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 4रू. का पचास गुणा 200रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी. आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 1.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय

19-20
88
200 रु